न्यायालय जिला कलक्टर, बारां (राज0)

प्रकरण संख्या– 3/2014

बउनवान

कल्याण सिंह पुत्र श्री रतन सिंह आयु 52 साल जाति राजपूत निवासी ग्राम टारडा तह0 अन्ता जिला बारां (राज0) (प्रार्थी)

बनाम

1. राधेश्याम पुत्र श्री बजरंगदास जाति बैरागी निवासी हिंगोनिया हाल टारडा तह0 अन्ता जिला बारां (राज0)
2. राजस्थान सरकार जरिये तहसीलदार, अन्ता (अप्रार्थीगण)

जिला कलेक्टर न्यायालय बारां (राज0)

प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा, 14 (4) भू आवंटन अधिनियम, 1970

उपस्थिति :– 1. श्री अरविन्द सिंह हाड़ा, अभिभाषक (प्रार्थी)
2. श्री हरिओम चतुर्वेदी, अभिभाषक (अप्रार्थी क्रम 1)

निर्णय दिनांक 27.10.2021

प्रार्थी ने भू आवंटन नियम, 1970 के नियम, 14(4) के तहत प्रार्थनापत्र इस आशय का प्रस्तुत किया कि वाके ग्राम–टारडा, तहसील–अन्ता, की आराजी ख0नं0 595/1233 रकबा 0.85 है0 व ख0 नं0 252 रकबा 0.69 है0 भूमि अप्रार्थी क्रम 1 के नाम दिनांक 29.06.1999 को ग्राम बिजौरा कैम्प में आवंटन की गई थी। जबकि आराजी ख0 नं0 595/1233 की रकबा 0.85 है. में से 0.48 है., जो कि प्रार्थी व उसके सहखातेदारान की खातेदारी की आराजी ख0 नं0 593 की रकबा 1.49 है. के लगवां है, पर करीबन 45–50 वर्षो से प्रार्थी काबिज काश्त चला आ रहा है। तथा वर्तमान में भी काबिज काश्त है। अप्रार्थी क्रमांक 1 का आज तक भी उक्त आराजीयात पर कभी किसी प्रकार का कब्जा नहीं रहा है। आवंटन होने के बाद से आज तक भी कब्जा नहीं होने के कारण भू आवंटन अधिनियम की शर्तों की अवहेलना हुयी है, इसलिये आवंटन स्वतः ही खारिज होने योग्य है। उक्त आवंटन बिजौरा कैम्प में पूर्ण कोरम में नहीं किया गया है। इस तथ्य को देखते हुये माननीय न्यायालय द्वारा प्रकरण संख्या 126/2000 ग्यारसीराम ब[illegible] ग्राम वगैरह निर्णय दिनांक 22.10.2001 से अप्रार्थी क्रम 1 को आवंटित [illegible] रकबा 0.69 है. वाके ग्राम टारडा को निरस्त कर दिया गया है। जिसके निर्णय की प्रमाणित प्रति भी संलग्न की जाती है। प्रार्थी का प्रकरण माननीय न्यायालय द्वारा पारित निर्णय दिनांक 22.10.2001 से [illegible] नहीं है क्योंकि अप्रार्थी क्रम 1 को आराजी ख0 नं0 252 के साथ साथ ही आराजी ख0 नं0 595/1233 रकबा 0.85 है. का आवंटन किया गया है जबकि उक्त आराजी में से 0.48 है. पर प्रार्थी का करीबन

Signature Not Verified
Digitally signed by Rajendra Vijay
Date: 2021.12.13 10:24:28 IST
Reason: SelfAttested

जिला कलेक्टर
बारां (राज0)

45–50 वर्षों से, निरन्तर कब्जा चला आ रहा है। तथा उक्त आराजी प्रार्थी की खातेदारी की आराजी ख0 नं0 593 रकबा 1.49 है. के लगवां एक भू पट्टी के रूप में होने से स्ट्रिप ऑफ लैण्ड की श्रेणी में आने से उक्त कब्जाशुदा आराजी 0.48 है. को प्रार्थी अपने नाम आवंटन/नियमन करवाने की पूर्ण पात्रता रखता है। अप्रार्थी कम 1 ग्राम हिंगोनिया का निवासी है जिसके द्वारा ग्राम टारडा का निवासी बताकर गलत रूप से उक्त आराजी का आवंटन अपने पक्ष में मिलजुल कर करवाया है जबकि पूर्व से ही उसके खातेदारी की आराजी ग्राम हिंगोनिया में स्थित होने से अप्रार्थी उक्त आवंटन का पात्र नहीं होने से आवंटन निरस्त किये जाने योग्य होने से निरस्त फरमाया जावे तथा अप्रार्थी कम 1 को जर्ये स्थायी निषेधाज्ञा पाबन्द किया जावे कि वह प्रार्थी के कब्जे काश्त की 0.48 है. आराजी से उसे बेदखल नहीं करे।

इस पर प्रकरण दर्ज रजिस्टर किया जाकर अप्रार्थीगण को जर्ये सम्मन तलब किया गया तथा अधीनस्थ न्यायालय से भू आवंटन रेकार्ड तलब किया गया।

अप्रार्थी कम 1 की ओर से जवाब प्रार्थना पत्र इस आशय का पेश हुआ कि आराजी ख0नं0 595/1233 रकबा 0.85 है. मे से 0.48 है. आराजी पर प्रार्थी का विगत 50 वर्षों से कब्जा होना मिथ्या, बनावटी एवं निराधार है। अप्रार्थी कम 1 को दिनांक 29.06.1999 को आवंटित भूमि पर दिनांक 17.09.1999 को दखल दे दिया था तबसे अप्रार्थी आवंटित आराजी पर लगातार काबिज काश्त होने से आवंटित आराजी पर आवन्टी राधेश्याम को आवंटन शर्तों की पूर्ण पालना करने के आधार पर खातेदारी अधिकार प्रदान कर दिये जाने से प्रार्थी का प्रार्थना पत्र विधितः संधारणीय नही होने से निरस्तनीय है। अप्रार्थी भूमिहीन कृषक होने एवं ग्राम टारडा का स्थायी निवासी होने एवं आवंटन का पात्र होने से ख0 नं0 595/1233 की आराजी पूर्ण कौरम द्वारा राधेश्याम को आवंटन कर दखल दिया गया था। प्रकरण संख्या 126/2000 ग्यारसीराम बनाम राधेश्याम के निर्णय दिनांक 22.10.2001 ख.नं. 252 रकबा 0.69 है. आराजी से संबंधित है जिसमें भी प्रार्थी की पात्रता को प्रश्न चिन्ह नहीं किया बल्कि बाद जांच ग्यारसीलाल आवंटन का पात्र न होने पर आवन्टी राधेश्याम को पुनः आवंटन का विधिवत निर्णय लिया जावे। प्रकरण संख्या 126/2000 के समय अप्रार्थी राधेश्याम गैर खातेदार था। वर्तमान में अप्रार्थी कम 01 पूर्ण खातेदार हो जाने से प्रार्थी का प्रार्थना पत्र विधितः संधारणीय नहीं होने से निरस्तनीय है। अप्रार्थी कम 1 राधेश्याम कस जन्म ग्राम टारडा में हुआ है और जन्म से आज तक ग्राम टारडा में निवास कर रहा है। ग्राम हिंगोनिया के संयुक्त खाते की 8 बीघा आराजी में अप्रार्थी कम 1 का 1/3 हिस्सा लगभग ढाई बीघा है। अप्रार्थी कम 1 को खातेदारी [illegible] किये जाने से प्रार्थी को आवंटन निरस्त करवाने का अधिकार नहीं है एवं न्यायाल[illegible] को नियम 14(4) भू आवंटन नियम में सुनवायी का श्रवणाधिकार नही [illegible] अंकित किया कि अप्रार्थी का जन्म दिनांक 05.02.1976 को [illegible] जन्म से आज तक ग्राम टारडा में ही स्थायी निवास कर रहा है व ग्राम टारडा का स्थायी निवासी है। वाके माल हिंगोनिया में अप्रार्थी कम 1 के पूर्वजों की 8 बीघा आराजी है, जिसमें अप्रार्थी कम 1 का 1/3 हिस्सा ढाई बीघा लगभग है। अप्रार्थी भूमिहीन कृषक होने व आवंटन का पात्र होने से वाके माल टारडा के ख0नं0 595/1233 रकबा 0.55 है. किस्म बंजड़ एवं खसरा नंबर 252 रकबा 0.69 है. किस्म

Signature Not Verified
Digitally signed by Rajendra Vijay
Date: 2021.12.13 10:24:28 IST
Reason: SelfAttested

ानी I आराजी कैम्प बिजौरा में आवंटन कमेटी द्वारा भू आवंटन नियमों अनुसार दिनांक 29.06.1999 को अप्रार्थी क्रम 1 को आवंटन हुई आवंटित भूमि अप्रार्थी के नाम राजस्व रेकार्ड में गैर खाते दर्ज हुई। अप्रार्थी क्रम 1 को आवंटित आराजी पर दिनांक 17.09.1999 को दखल दिया तबसे अप्रार्थी आवंटित आराजी पर काबिज काश्त चला आ रहा है। आवंटन नियमों की पूर्ण पालना करने पर आवंटित आराजी पर अप्रार्थी राधेश्याम को खातेदारी अधिकार प्रदान किये गये। वाके माल टारडा के हाल खेवट खतौनी संख्या 28 कुल चार किता रकबा 6.78 है. आराजी में प्रार्थी का 5/8 हक एवं हिस्सा है। प्रार्थी के हक हिस्से में 26 बीघा के उपर आराजी वर्तमान जमाबंदी संवत 2070–73 में संयुक्त खाते दर्ज है। प्रार्थी भूमिहीन काश्तकार नहीं होने से आवंटन की पात्रता नहीं रखता। आवंटित आराजी ख0 नं0 595/1233 रकबा 0.85 है. आवंटन के समय राजस्व रिकार्ड में किस्म बंजड़ दर्ज थी। आवंटित भूमि खसरा नंबर 252 रकबा 0.69 है. आराजी के आवंटन निरस्ती बाबत ग्यारसीराम पुत्र रोडू जाति माली द्वारा प्रस्तुत प्रार्थना पत्र नियम 14(4) भू आवंटन अधिनियम प्रकरण संख्या 126/2000 में न्यायालय द्वारा पारित निर्णय दिनांक 22.10.2001 में ख0नं0 252 की आराजी पर अप्रार्थी की गैर खातेदारी राजस्व रिकार्ड में निरस्त कर दी गयी है। जांच उपरान्त उक्त आवंटित भूमि अप्रार्थी को पुनः आवंटन करने का आदेश आवंटन सलाहकार समिति को दिया। प्रकरण संख्या 126/2000 के तथ्य, स्थिति एवं आवंटी के राजस्व रिकार्ड में अप्रार्थी के खातेदारी अधिकारों, भूमि की किस्म एवं प्रार्थना पत्र प्रस्तुत करने की समयावधि एवं विधि स्थिति में एवं आवंटन की पात्रता, बाबत भिन्नता होने से उक्त प्रकरण के तथ्य इस प्रकरण पर चस्पा नहीं होते। आवंटित आराजी का अप्रार्थी क्रम 01 पूर्ण खातेदार कृषक होने से प्रार्थी अप्रार्थी क्रम 1 के आवंटन को निरस्त करवाने का अधिकारी नहीं है एवं न्यायालय को भी पूर्ण खातेदारी उपरान्त भू आवंटन नियम 14 (4) के प्रार्थना पत्र. की सुनवायी करने का श्रवणाधिकार नहीं होने से प्रार्थना पत्र प्रार्थी निरस्तनीय है। अतः सव्यय निरस्त फरमावें।

भू आवंटन रेकार्ड प्राप्त होने पर बहस उभयपक्ष विद्वान अभिभाषकगण सुनी गयी। बहस के दौरान विद्वान अभिभाषक प्रार्थी ने प्रार्थनापत्र में अंकित तथ्यों को दोहराते हुए निवेदन किया कि वाके ग्राम–टारडा, तहसील–अन्ता, की आराजी ख0नं0 595/1233 रकबा 0.85 है0 व ख0 नं0 252 रकबा 0.69 है0 भूमि अप्रार्थी क्रम 1 के नाम दिनांक 29.06.1999 को ग्राम बिजौरा कैम्प में आवंटन की गई थी। जबकि आराजी ख0 नं0 595/1233 की रकबा 0.85 है. में से 0.48 है., जो कि प्रार्थी व उसके सहखातेदारान की खातेदारी की आराजी ख0 नं0 593 की रकबा 1.49 है. के लगवां है पर करीबन 45–50 वर्षों से प्रार्थी काबिज काश्त चला आ रहा है। तथा वर्तमान में भी काबिज काश्त है। अप्रार्थी क्रमांक 1 का आज तक भी उक्त आराजीयात पर कभी किसी प्रकार का कब्जा नहीं रहा है। आवंटन होने के बाद से आज तक भी कब्जा नहीं होने के कारण भू आवंटन अधि[illegible] शर्तो की अवहेलना हुयी है, इसलिये आवंटन स्वतः ही खारिज होने यो[illegible] में पूर्ण कोरम में नही किया गया है। इस तथ्य को देख[illegible] द्वारा प्रकरण संख्या 126/2000 ग्यारसीराम बनाम राधेश्याम वगैरह निर्णय दिनांक 22.10.2001 से अप्रार्थी क्रम 1 को आवंटित आराजी ख0 नं0 252 रकबा 0.69 है. वाके ग्राम टारडा को निरस्त कर दिया गया है। जिसके निर्णय की प्रमाणित प्रति भी संलग्न की गयी है। प्रार्थी का प्रकरण माननीय न्यायालय द्वारा

Signature Not Verified
Digitally signed by Rajendra Vijay
Date: 2021.12.13 10:24:28 IST
Reason: SelfAttested

जिला कलक्टर
बारां (राज०)

जिला कलेक्टर न्यायालय बारां (राज०)

[illegible]त निर्णय दिनांक 22.10.2001 से भिन्न नहीं है क्योंकि अप्रार्थी क्रम 1 को आराजी ख0 नं0 [illegible]52 के साथ साथ ही आराजी ख0 नं0 595/1233 रकबा 0.85 है. का आवंटन किया गया है जबकि उक्त आराजी में से 0.48 है. पर प्रार्थी का करीबन 45–50 वर्षों से निरन्तर कब्जा चला आ रहा है। तथा उक्त आराजी प्रार्थी की खातेदारी की आराजी ख0 नं0 593 रकबा 1.49 है. के लगवां एक भू पट्‌टी के रूप में होने से स्ट्रिप ऑफ लैण्ड की श्रेणी में आने से उक्त कब्जाशुदा आराजी 0.48 है. को प्रार्थी अपने नाम आवंटन/नियमन करवाने की पूर्ण पात्रता रखता है। अतः आवंटन निरस्त फरमाया जावे।

इसके विपरीत अप्रार्थीगण के विद्वान अभिभाषक ने कथन किया कि आराजी ख0नं0 595/1233 रकबा 0.85 है. मे से 0.48 है. आराजी पर प्रार्थी का विगत 50 वर्षों से कब्जा होना मिथ्या, बनावटी एवं निराधार है। अप्रार्थी क्रम 1 को दिनांक 29.06.1999 को आवंटित भूमि पर दिनांक 17.09.1999 को दखल दे दिया था तबसे अप्रार्थी आवंटित आराजी पर लगातार काबिज काश्त होने से आवंटित आराजी पर आवन्टी राधेश्याम को आवंटन शर्तों की पूर्ण पालना करने के आधार पर खातेदारी अधिकार प्रदान कर दिये जाने से प्रार्थी का प्रार्थना पत्र विधितः संधारणीय नही होने से निरस्तनीय है। अप्रार्थी भूमिहीन कृषक होने एवं ग्राम टारडा का स्थायी निवासी होने एवं आवंटन का पात्र होने से ख0 नं0 595/1233 की आराजी पूर्ण कौरम द्वारा राधेश्याम को आवंटन कर दखल दिया गया था। प्रकरण संख्या 126/2000 ग्यारसीराम बनाम राधेश्याम के निर्णय दिनांक 22.10.2001 ख.नं. 252 रकबा 0.69 है. आराजी से संबंधित है जिसमें भी प्रार्थी की पात्रता को प्रश्न चिन्ह नहीं किया बल्कि बाद जांच ग्यारसीलाल आवंटन का पात्र न होने पर आवन्टी राधेश्याम को पुनः आवंटन का विधिवत निर्णय लिया जावे। प्रकरण संख्या 126/2000 के समय अप्रार्थी राधेश्याम गैर खातेदार था। वर्तमान में अप्रार्थी क्रम 01 पूर्ण खातेदार हो जाने से प्रार्थी का प्रार्थना पत्र विधितः संधारणीय नहीं होने से निरस्तनीय है। अप्रार्थी क्रम 1 राधेश्याम कस जन्म ग्राम टारडा में हुआ है और जन्म से आज तक ग्राम टारडा में निवास कर रहा है। ग्राम हिंगोनिया के संयुक्त खाते की 8 बीधा आराजी में अप्रार्थी क्रम 1 का 1/3 हिस्सा लगभग ढाई बीधा है। अप्रार्थी क्रम 1 को खातेदारी अधिकार प्रदान कर दिये जाने से प्रार्थी को आवंटन निरस्त करवाने का अधिकार नहीं है एवं न्यायालय श्रीमान को नियम 14(4) भू आवंटन नियम में सुनवायी का श्रवणाधिकार नही है। आवंटित आराजी का अप्रार्थी क्रम 01 पूर्ण खातेदार कृषक होने से प्रार्थी अप्रार्थी क्रम 1 के आवंटन को निरस्त करवाने का अधिकारी नहीं है एवं न्यायालय को भी पूर्ण खातेदारी उपरान्त भू आवंटन नियम 14 (4) के प्रार्थना पत्र. की सुनवायी करने का श्रवणाधिकार नहीं होने से प्रार्थना पत्र प्रार्थी निरस्तनीय है। अतः प्रार्थनापत्र खारिज फरमाया जावे।

Signature Not Verified
Digitally signed by Rajendra Vijay
Date: 2021.12.13 10:24:28 IST
Reason: SelfAttested

हमने बहस उभयपक्ष विद्वान अभिभा[illegible] मनन किया तथा पत्रावली का आद्योपांत अवलोकन किया। इससे पा[illegible]ल–अन्ता की आराजी खसरा नम्बर 595/1233 रकबा 0.85 [illegible] रकबा 0.69 है0 भूमि अप्रार्थी क्रम 1 के नाम दिनांक 29.06.1999 को ग्राम बिजौरा कैम्प [illegible] आवंटन की गई थी। तथा दिनांक 17.09.199 को पटवारी हल्का एवं इन्सपेक्टर द्वारा रूबरू गवाहान अप्रार्थी क्रम 1 को उक्त आवंटन आदेश की पालना में दखल दिया गया है। अप्रार्थी को खातेदारी अधिकार प्राप्त होने

जिला कलक्टर
बारां (राज०)

न्यायालय जिला कलेक्टर

के संबंध में पत्रावली में कोई साक्ष्य अप्रार्थी ने प्रस्तुत नहीं किया है तथा दौराने बहस वकील प्रार्थी ने अप्रार्थी के इस कथन का खण्डन भी नहीं किया तथा ऐसा कोई दस्तावेज भी पेश नहीं किया जिससे यह सिद्ध हो कि अप्रार्थी को उक्त आवंटित आराजी पर खातेदारी अधिकार प्राप्त नहीं हुये हों। साथ ही अधीनस्थ न्यायालय की मूल आवंटन पत्रावली के सरवर्क पर लाल स्याही से तथा सरवर्क की पुश्त पर नीली स्याही से ख0 नं0 595/1233 रकबा 0.85 है. पर खातेदारी होना तथा ख0 नं0 252 रकबा 0.69 है. भूमि सिवायचक दर्ज होना अंकित है। अप्रार्थी द्वारा आवंटन शर्तों की पालना किये जाने के कारण ही उसे आवंटित आराजी पर खातेदारी अधिकार प्रदान किये गये हैं इससे प्रार्थी का यह कथन असत्य प्रतीत होता है कि ग्राम टारडा की आराजी खसरा नंबर 595/1233 रकबा 0.85 है. में से 0.48 है. आराजी पर प्रार्थी का कब्जा है। साथ ही चूंकि अप्रार्थी को आवंटित आराजी पर खातेदारी अधिकार प्राप्त होने से प्रार्थना पत्र प्रार्थी निरस्त किया जाना हम न्यायोचित समझते हैं।

परिणामस्वरूप, प्रार्थीगण का प्रार्थनापत्र खारिज किया जाता है। भू आवंटन सलाहकार समिति, द्वारा अप्रार्थी को ग्राम टारडा की आवंटित आराजी खसरा नम्बर 595/1233 की 0.85 है0 का आवंटन दिनांक 29.06.1999 यथावत रखा जाता है।

निर्णय आज दिनांक 27.10.2021 को सरे इजलास लिखाया जाकर सुनाया गया।

(राजेन्द्र विजय)
जिला कलक्टर,बारां

Signature Not Verified

Digitally signed by Rajendra Vijay
Date: 2021.12.13 10:24:28 IST
Reason: SelfAttested